न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 33/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/15**
दायर दिनांक :– 11.03.2024 **निर्णय दिनांक :– 22.12.2024**

1. मोयबदीन पुत्र बागेखां जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. ताजमोहम्मद पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. नियाज मोहम्मद पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तह. बाप जिला फलोदी
4. मो. न्यास पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5. सतार खां पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
6. सदीकखां पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
7. सालेमोहम्मद पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
8. सायबखातु पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. बसन्तीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल फौत के कायम मुकाम

2/1 कमल पुत्र रामेश्वरलाल जाति भठड़ निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2/2 अशोक पुत्र रामेश्वरलाल जाति भठड़ निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2/3 राजू पुत्र रामेश्वरलाल जाति भठड़ निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2/4 कैलाश पुत्र रामेश्वरलाल जाति भठड़ निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2/5 रामेश्वरलाल पुत्र शंकरलाल जाति भठड़ निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

3. यार मोहम्मद पुत्र मलूकखां जाति मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री विजय तंवर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि मूल खसरा नम्बर 5 कुल रकबा 73–06 बीघा सरहद मौजा भड़ला पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप में स्थित है। प्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 8 के पति लालदीन एवं अन्य खातेदारान ने उक्त भूमि का बंटवाड़ा सहायक कलक्टर कोर्ट फलोदी से करवा लिया था और उक्त बंटवाड़ा अनुसार मूल खसरा नम्बर 5 रकबा 73–06 बीघा भूमि में से लालदीन पि. बागे खां के बंट में रकबा 24–06 बीघा, बागे खां के बंट में रकबा 24–09 बीघा तथा मोयबदीन के बंट में रकबा 24–09 बीघा अनुसार भूमि रखी गई। उक्त निर्णय अनुसार मात्र

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जमाबंदी में अलग अलग खाते कायम किये गये लेकिन नक्शा लट्ठा में भूमि सामलाती ही रखी गई। जो मुकदमा नम्बर 91/1979 निर्णय दिनांक 29.09.1982 से प्रमाणित है। उक्त भूमि का आगे समय समय पर बेचान होने से राजस्व रेकर्ड में खाते अलग अलग कायम दिये गये। इस प्रकार वर्तमान में प्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 के नाम खसरा नम्बर 5 रकबा 2.3310 हैक्टेयर, प्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 5/1 रकबा 3.9578 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 5/2 रका 2.0153 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 3 के नाम खसरा नम्बर 5/5 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि के नक्शा लट्ठा में पूर्व में तरमीम नहीं हो रखी थी जो पूर्व में समय समय पर पटवारी हल्का द्वारा जारी नक्शा ट्रेस से प्रमाणित है। लेकिन वर्तमान में पटवारी हल्का ने सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थीगण को सूचित किये वगेर ही प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान के कब्जा व काश्त के विपरित तरमीम मौके पर गये वगेर ही कर दी है जो तरमीम मौके की स्थिति से पूर्ण रूप से भिन्न है और प्रार्थीगण का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त है तथा अपनी रहवासीय अलग अलग ढाणियां बना रखी है तथा अपने कब्जा अनुसार ही पानी के टांके एवं पशुओं के लिए बाड़े इत्यादि बना रखे है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि में नियमानुसार कृषि विद्युत कनेक्शन लेकर के नलकूप भी खुदवा रखा है। प्रार्थीगण ने अपने कब्जा व काश्त एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि के चारों तरफ खूंटे रोपकर तारबंदी कर रखी है एवं प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में काश्त कर प्राकृत पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र पेश जिसे उक्त प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब मय मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 की और से श्री विजय तंवर ने वकलातनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2/1 ता 2/5 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम भड़ला पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप के खसरा नम्बर 5 रकबा 2.3310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5/1 रकबा 3.9578 हैक्टेयर, खसरा नम्बरर 5/2 रकबा 2.0153 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5/4 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5/5 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है जो पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भड़ला पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप के खसरा नम्बर 5 रकबा 2.3310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5/1 रकबा 3.9578 हैक्टेयर, खसरा नम्बरर 5/2 रकबा 2.0153 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5/4 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5/5 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त किया जाकर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/12/24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)